न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 45/20 निर्णय दिनांकः–28-07-2022
(जीसीएमएस संख्या 2020/00207)

1. रामादेवी पत्नी राकेश कुमार पुत्र इन्द्रराम जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. कृतिका नाबालिग पुत्री रामादेवी पत्नी राकेश कुमार जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. देशान्त नाबालिग पुत्री रामादेवी पत्नी राकेश कुमार जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. नानूदेवी पत्नी इन्द्रराम जाति कुम्हार निवासी चक 16 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर हाल आबाद चक 25 केएनडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. राकेश कुमार पुत्र इन्द्रराम जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 07–09–2020
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री बृजेश मदान, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 07–09–2020 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् संख्या 1 के ससुर व अपीलांट् संख्या 2 व 3 के दादा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता इन्द्रराम जोकि राजकीय सेवा में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु के उपरान्त जो राशि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी, उक्त राशि से चक 25 केएनडी के मुरब्बा नम्बर 152/40 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 24 ता 25 तादादी 13 बीघा 06 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि खरीद की गई थी। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि होने के आधार पर अपीलांट्स का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बाई बर्थ हक व हिस्सा निहित होने के आधार पर अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

उन्होनें आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व मौके की स्थिति की किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की गई। यदि तत्समय मौके की जॉच कर ली जाती तो यह स्थिति स्वमेव न्यायालय के समक्ष आ जाती कि अपीलांट्स मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते हुए यह कथन किया गया था कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का बाई बर्थ हक व हिस्सा निहित है। यदि वादग्रस्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को बेचान कर दिया गया तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अदालत मातहत द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स के उक्त कथन पर कतई गौर नहीं किया गया। अपीलांट्स एक सामान्य गृहणी है तथा अपीलांट् संख्या 2 व 3 तीन नाबालिग बच्चे है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के जीवन यापन का एक मात्रस्त्रौत उक्त कृषि भूमि ही है। यदि आराजी जैर से अपीलांट्स को बेदखल किया गया तो वादपत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे व आदेश प्रदान किये जावे कि वादगत् भूमि से अपीलांट्स को बेदखल नहीं किया जावे व राजस्व रिकार्ड में यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति होने से अपीलांट्स का आराजी जैर से कोई सरोकार नहीं है। चूंकि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वयं की आय से खरीदशुदा सम्पति है। ऐसी स्थिति में उनके जीवनकाल में उसके पुत्र अथवा अन्य किसी वारिसान का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बिना किसी युक्तियुक्त व तर्कसंगत आधारों के वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना विवेचन अंकित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस पर अपीलांट्स का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है तथा स्वयं काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसीलिए प्रार्थीगण/अपीलांट्स का का वादगत् भूमि पर कोई कब्जा काश्त व हक व हकूक निहित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण/अपीलांट्स का वादगत् भूमि के बाबत् प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपूरणीय क्षति कारित नहीं होती है। अपीलांट्स द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे वादगत् भूमि पर उनका कब्जा काश्त साबित हो। चूंकि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 25 केएनडी के मुरब्बा नम्बर 152/40 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 24 ता 25 तादादी 13 बीघा 06 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है जिस पर अपीलांट्स का बाई बर्थ हक व हिस्सा निहित है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ प्रस्तुत रिकार्ड व आदेश जैर अपील का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्यम पारिवारिक विवाद है। तथा अपीलांट्स द्वारा अपने पति/पिता के जीवनकाल में ही वादग्रस्त भूमि में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

से अपना हक व हिस्से की मांग की गई है। प्रकरण में अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर अपना अधिकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बताया गया है। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोई भी पत्नी/पुत्र अपने पति/पिता के जीवनकाल में हक व हिस्से की मांग नहीं कर सकते है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष उपलब्ध राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के अनुसार विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलांट्स द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है जिससे वादगत् भूमि पर उनका कोई हक व हिस्सा निहित माना जावें। केवल मात्र मौखिक कथन व शपथ पत्र के आधार पर वे वादगत् भूमि पर अपने हक व हकूकों को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में साबित होने से अपीलांट्स/प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करनें में कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 07–09–2020 बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 28/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

28/7/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर